समाहरणालय, मधेपुरा
(खनन–शाखा)
पत्रांक ..../खनन,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

मधेपुरा अक्टूबर 2013

विषय :– ईट सत्र 2013–14 में नियम सम्मत चिमनी ईंट भट्टा संचालन की प्रक्रिया को विज्ञापित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विगत वर्षों की भाँति माह अक्टूबर में चिमनी ईट भट्टा का संचालन भट्ठेदारों द्वारा प्रारम्भ किया जाना है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के प्रावधानों का अनुपालन समान्य स्थिति में भट्ठेदारों द्वारा नही करने के कारण सरकारी राजस्व का ह्रास होने की संभावना बनी रहती है। इस आलोक में इस पत्र के साथ विज्ञापन सामग्री की प्रति संलग्न कर सम्प्रेषित की जाती है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार के लिए दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये।

03/10/13

खनन पदाधिकारी
मधेपुरा

विश्वासभाजन
04/10/13
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 233 /खनन, दिनांक 05 / 10 / 2013

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/10/13

खनन पदाधिकारी
मधेपुरा

04/10/13
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

- Copy to DIO to publish on website.
- Copy to SDMs / COs / NDC - notice board display.
- Copy to Commercial Taxes / Labour Supdt. / ADM for info. & necessary action.

04/10/13

समाहरणालय, मधेपुरा
(खनन–शाखा)
चिमनी ईट भट्ठेदारों के लिए अति आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण सभी ईंट भट्ठेदारों को सूचित किया जाता है कि आगामी ईट सत्र 2013–14 अक्टूबर माह से आरम्भ हो चूका है। इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना एवं निदेर्शों के अनुपालन में निदेशित किया जाता है कि चिमनी ईट भट्टा के संचालन की आरम्भिक स्तर/अवस्था यथा–ईट मिट्टी का उत्खनन एवं ईट पथाई का कार्य के पूर्व जिला खनन कार्यालय, सहरसा में **वांछित कागजात समर्पित करने के उपरांत अनुज्ञा पत्र (Permit) प्राप्त कर ही सुनिश्चित किया** जाय, अन्यथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली–1972 के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अवैध संचालन के आलोक में बिना कोई पूर्व सूचना दिये चिमनी ईट भट्टा के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई के तहत अपराधिक मुकदमा दायर की जाएगी।

2. विगत ईट सत्र 2012–13 में अवैध संचालन/बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने वाले भट्टेदारों को बकाया राशि एवं जुर्माना (Penalty)की राशि का भुगतान करने के पश्चात् ही ईट भट्टा को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
3. चलंत चिमनी (लोहे की चिमनी) ईट भट्टा का संचालन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी।

वांछित कागजात निम्नवत् है :–

1. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (नये भट्टो के लिए) एवं सी॰टी॰ओ॰ (पुराने भट्टो के लिए अनिवार्य)
2. **आवेदित स्थल/भट्टा स्थल/भूखंड का निबंधित डीड अथवा सहमति पत्र की प्रति, मालगुजारी रसीद (अद्यतन प्रति) ग्राम नक्शा (Revenue Map) खतियान की सत्यापित** प्रति।
3. समेकित स्वामिस्व की राशि (आवेदन शुल्क सहित) श्रेणीवार –II-1,03,500 रू॰ एवं III-74,500 रू॰ का बैंक ड्राफ्ट, खनन पदाधिकारी, सहरसा के पदनाम से एवं आयकर मद की राशि समेकित स्वामिस्व की राशि का 2% श्रेणीवार II-2030 रू॰ एवं III-1450 रू॰ भी अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति।
4. खनन संबंधित बकाया नहीं रहने का शपथ पत्र (नये भट्टो दारो के लिए) /स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण–पत्र (पुराने भट्टो दारो के लिए) एवं 25 रूपया का Court Fee Stamp के साथ खनन अनुज्ञा आवेदन पत्र।
5. PAN कार्ड/परिचय–पत्र (Voter Card) की छाया प्रति।
6. विक्रयकर (VAT) का निबंधन संख्या/अथवा 60 दिनों के अंदर निबंधन कराने हेतु शपथ–पत्र/प्रतिज्ञापना–पत्र (Undertaking)। (नये भट्टो के लिए) एवं विक्रयकर भुगतान प्राप्ति रसीद (पुराने भट्टो के लिए)
7. चिमनी ईट भट्टा से संबंधित अन्य कागजात।
8. वांछित कागजात क्रम संख्या 01 से 07 तक एक दूसरे का पूरक होने के कारण समेकित रूप से एक साथ ही जिला खनन कार्यालय, सहरसा द्वारा स्वीकार किया जायेगा। अपूर्ण कागजातों के अभाव में अभ्यावेदन को सीधे रूप से अस्वीकृत करते हुए विधि–सम्बत् कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
9. विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला खनन कार्यालय, सहरसा से वांछित सूचनाएँ प्राप्त किया जा सकता है।

03/10/13 — 04/10/13

खनन पदाधिकारी
मधेपुरा

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा